न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी:– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 46/2013

प्रार्थी/वादी:–

1. तहसीलदार (भुमिधारी), पाली

बनाम

अप्रार्थी/प्रतिवादीगण:–

1. रामा वल्द मोती
2. भेरा वल्द मोती
3. लुम्बा वल्द ओका कौम घांची
   - 3/1 भीकाराम पुत्र लुम्बाराम
   - 3/2 ओगड़राम पुत्र लुम्बाराम
   - 3/3 कालुराम पुत्र लुम्बाराम
   - 3/4 हंसराज पुत्र लुम्बाराम
   - 3/5 मृत पार्वती देवी पुत्री लम्बाराम के का.मु.
     - 3/5/1. विनोद कुमार पुत्र श्री सेराराम कौम घांची
4. लक्ष्मीदेवी पत्नि नवल किशोर व्यास
5. पताराम वल्द रामा कौम घांची

   ना0बा0का0 कुदरती वली रामा वल्द नारायण कौम घांची
6. हसाराम वल्द लूम्बा राम कौम घांची

   ना0बा0 का कुदरतीवली पिता लुम्बा राम वल्द ओका राम कोम घांची
7. गिरीश कुमार पुत्र चेनाराम
8. मोहनलाल वल्द ताराचन्द
9. धनराज वल्द भंवर लाल
10. मगराज वल्द हीरालाल
11. मोहनलाल पिता हीरालाल कौम घांची के कायम मुकाम–
    - 11/1 रमेश कुमार पुत्र मोहनलाल घांची
    - 11/2 अनिल कुमार पुत्र मोहनलाल घांची
    - 11/3 कौशल्या पुत्री मोहनलाल घांची
    - 11/4 सरस्वती पुत्री मोहनलाल घांची
    - 11/5 संतोष पुत्री मोहनलाल घांची
    - 11/6 कमलादेवी पत्नि मोहनलाल घांची

    निवासीगण पाली

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

उपस्थितिः—

1. श्री केसरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)
2. श्री दिपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 व 2

वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:निर्णयः— दिनांक 06.01.2020

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद पाली चक द्वितीय में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 636 रकबा 45.09 बीघा किस्म चाही चारम है। वर्णित भूमि अप्रार्थीगणो की खातेदारी कृषि भूमि है जिसके भौतिक स्वरूप को नष्ट कर कृषि भूमि नहीं रही है तथा भूमि की उर्वरता व उत्पादकता शक्ति खत्म हो गई। खसरा नम्बर 636 रकबा 45.09 बीघा किस्म चाही चारम पर गैर कृषि कार्य करने व उपयोग किये जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघन है। विवादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगणों द्वारा किसी प्रकार की आपति एवं उज्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र वाद के रूप में परिणित किया जावें। कृषि भूमि पर अकृषि हानिप्रद कार्य करने से कृषि भूमि का मूल भौतिक स्वरूप अप्रार्थीगणों द्वारा नष्ट किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप उक्त भूमि कृषि योग्य नहीं रही गई है अतः उक्त कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य कर कृषि भूमि को क्षति पहुचा कर कृषि योग्य नही रखने दिये जाने से अप्राथीगणों का यह कृतय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघन होने से पाली चक द्वितीय के खसरा नम्बर 636 रकबा 45.09 बीघा किस्म चाही चारम को सिवाय चक घोषित किया जावें।

2. अप्रार्थी को जरिये नोटिस निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया।

3. प्रतिवादी संख्या 1,2 व 6 के विरूद्ध बावजुद नोटिस तामिल के न्यायालय उपस्थित नहीं हुये इस कारण दिनांक 28—11—2016 को उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई।

4. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

5. सरकारी पैरोकार तहसलीदार पाली ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि सरहद पाली चक द्वितीय में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 636 रकबा 45.09 बीघा किस्म चाही चारम है। वर्णित भूमि अप्रार्थीगणो की खातेदारी कृषि भूमि है जिसके भौतिक स्वरूप को नष्ट कर कृषि भूमि नह रही है तथा भूमि की उर्वरता व उत्पादकता शक्ति खत्म हो गई। खसरा नम्बर 636 रकबा 45.09 बीघा किस्म चाही चारम पर गैर कृषि कार्य करने व उपयोग किये जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघन है। विवादग्रस्त भूमि के संबंध में

Rahi
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगणों द्वारा किसी प्रकार की आपति एवं उज्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र वाद के रूप में परिणत किया जावें। कृषि भूमि पर अकृषि हानिप्रद कार्य करने से कृषि भूमि का मूल भौतिक स्वरूप अप्रार्थीगणों द्वारा नष्ट किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप उक्त भूमि कृषि योग्य नहीं रही गई है उक्त कृषि भूमि का कृषि से अकृषि में परिवर्तन होने के कारण मेरे द्वारा उक्त भुमि को धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारों के खातेदारी अधिकार निरस्त करने हेतु प्रस्तत किया गया था जो इस प्रकरण में पाली चक द्वितीय में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 636 रकबा 45.09 बीघा किस्म चाही चारम वर्तमान में पाली शहर की पैरी फैरी सीमा के अन्तर्गत वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन के अनुसार आ चुके है। वर्ष 2013 में पाली शहर में नगर विकास न्यास भी स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिती में उक्त भूमियों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास, पाली का हो जाता है।

6. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। मौजा पाली चक द्वितीय में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 636 रकबा 45.09 बीघा किस्म चाही चारम वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन अनुसार पाली शहर में नगर विकास न्यास स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिती में उक्त भूमि पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास पाली का हो जाता है। अतः इस संबंध मे इस न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः क्षैत्राधिकार से बाहर हो जाने कारण अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 खारीज किया जाकर नगर विकास न्यास, पाली को सूचित किया जावें।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार के बाहर पाये जाने से तहसीलदार पाली का प्रार्थना पत्र/वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय की प्रति पत्र के साथ सचिव, नगर विकास न्यास, पाली को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 06.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner